



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii)

PART II - Section 3 - Sub - section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314]

नई दिल्ली, सुक्रवार, दिसम्बर 16, 2005/ अग्रहायण 25, 1927

No. 1314]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2005/AGRAHAYANA 25, 1927

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1771(अ).— तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा। की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 16 दिसम्बर, 2005 की तारीख को वह तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त धाराएं 2 से 26 (दोनों शामिल) लागू होंगी।

[फा.सं. 33036/5/2005-मा.(टी-2)]

अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry,
Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

S.O.1771 (E). — In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints the 16th day of December, 2005, as the date on which the said Sections 2 to 26 (both inclusive) shall come into force.

[F. No. 33036/5/2005-Fy(T-2)]

AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.